

:- आदेश :-

प्रशासनिक कार्यों से लोकाहित में विभागीय होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कार्यों से उनके नाम के सम्बन्ध अर्जित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम उपाधिक	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	वांछित पदस्थापन स्थान
1	डॉ. जिनच जीन	MO	राज. होम्यो. जीन लसडिगा, जयपुर स्थानान्तरणार्थीन	राज. होम्यो. जीन, पटगा, दूधपुर में रिक्त पद पर
2	डॉ. नारायण आगत	MO	राज. होम्यो. जीन, कन्हासन, गिरीडीग	राज. आयुष्य चिकित्सालय महाडा, जिला भीलवाड़ा में रिक्त पद पर
3	डॉ. लीला कुमारी रगर	MO	राज. होम्यो. जीन, भीम, जिला राजसमंद	आयुष्य चिकित्सालय आरान्द भीलवाड़ा, में रिक्त पद पर

नोट-

- उक्त में से जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कार्यों से किये गटे हैं, को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
- उपरोक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निर्देशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- किसी अधिकारी द्वारा पूर्व में ही माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त कर रखा हो तो उसकी क्रियान्विति विधिक परामर्श उपरान्त सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।

आज्ञा से,

(नवरतन लाल)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष्य भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:- प्रति-1/हो.चि./पदस्थापन/स्था./2022/7063-67 दिनांक:- 04.11.2022
प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनाार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विरिष्ट सहायक, माननीय आयुष्य मंत्री महोदय।
 - निजी सचिव, शासन सचिव, आयुष्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - उप शासन सचिव, आयुष्य विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को आदेश क्रमांक एफ.10(14)आयु./2022 जयपुर, दिनांक 04.11.2022 के क्रम में सूचनाार्थ।
 - विभागीय नोटल अधिकारी (विभागीय वेबसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करावे एवं संबंधित कार्मिकों को ई-मेल/WhatsApp कर सूचित करे।
 - संबन्धित प्रभारी पी.एच.सी./सी.एच.सी./प्लीक चिकित्सालय/जिला अस्पताल
 - संबन्धित, विरिष्ट होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी प्रेड-1 एम.ए./होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डॉ.
- को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यापेक्षित किया जाकर निर्देशित किया जाता है की तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यवाही कर इस विभाग को अवगत करावे साथ ही उपरोक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निर्देशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करे।
- कार्यालय की लेखा शाखा/घंटा/विधि/सामान्य शाखा/स्टोर शाखा/सांख्यिकी शाखा।
 - रक्षित पत्रावली।

(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक